-1-

21

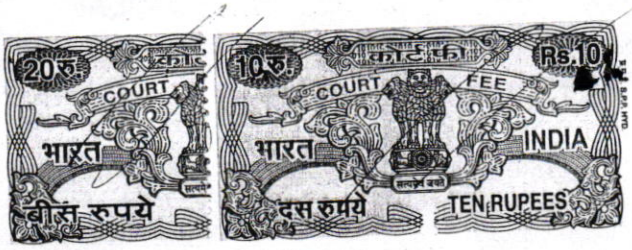

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

नि/ग 3480-II/16

शेख सुल्तान तनय शेख नन्दू
निवासी छोटी कुटरेहटी, छतरपुर
तह. व जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर नजूल अधिकारी जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–20–1/2011–12 पारित आदेश दिनांक 16/5/12 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सौरा स्थित भूमि खसरा क्र 1092, 1093, एंव 1094 रकवा क्रमशः 0.330, 0.300, एंव 0.180 हे निगरानीकर्ता के कब्जे व अधिपत्य की भूमि है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, आवेदक का विगत 50 से अधिक वर्ष से अधिक समय अवधि से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के कारण तथा भूमि पर अत्याधिक धन व्यय व परिश्रम कर काबिल काश्त बनाये जाने के कारण उसके द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन किए जाने हेतु एक

(जितेन्द्र सिंघई
एड. सागर
94251-71223)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R3480-T/16 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी नजूल अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 04/अ–20–1/वर्ष 11–12 में पारित आदेश दिनांक 16/05/12 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2– आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 3– आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि ग्राम सौरा स्थित भूमि खसरा क्र 1092, 1093, एंव 1094 रकवा क्रमशः 0.330, 0.300, एंव 0.180 हे भूमि आवेदक के कब्जे की भूमि है जिस पर आवेदक विगत करीब 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। जिस कारण से उसके द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किए जाने का आदेश पारित किया जाये जिसके आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर परंतु तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत आदेश किया गया है। तथा जिसके पश्चात् आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर प्रदाय किए बिना नजूल अधिकारी छतरपुर द्वारा राजस्व प्रकरण 04/अ–20–1/वर्ष 11–12 के सरल क्रमांक 103/नजूल/12 प्रश्नाधीन भूमि अपने आदेश दिनांक 16/5/12 द्वारा राजस्व अभिलेख में बाह्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नजूल दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है जिस कारण से निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 4— आवेदक का तर्क है कि वर्ष 1993—94 से 2009—10 तक कब्जा होने के कारण आवेदक पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया था जिसकी रसीदें भी आवेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के यहांप्रस्तुत की गयी थी। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा आवेदकं लगातार कृषि कार्य करता चला आ रहा है हल्का पटवारी द्वारा तदसंबंध का प्रतिवेदन तहसीलदार छतरपुर को प्रेषित किया गया आवेदक को व्यवस्थापन की श्रेणी में भी मान्य किया गया है परंतु इसके उपरांत भी तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक के पास अन्य भूमि नहीं है इस कारण से आवेदक पात्र व्यक्ति की श्रेणी में आता है तथा उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि भूमि खसरा क्र 1092, 1093, एंव 1094 रकवा क्रमशः 0. 330, 0.300, एंव 0.180 हे पर आवेदक का कब्जा है तदसंबंध में उसके द्वारा वर्ष 1993—94 से निरंतर अर्थदण्ड की रसीदे प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार छतरपुर द्वारा भी आवेदक को बेदखल किए जाने की कार्यवाही की गयी थी जिससे से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अनेक वर्षों से कब्जा भी चला आ रहा है तथा वर्तमान में वह भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है तदसंबंध में उल्लेखनीय है कि म.प्र. भू राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्योदश 2015 की कंडिका 05 धारा 162 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 162 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जायें अर्थात् (1) धारा 248 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जायें, राज्य सरकार की किसी भूमि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	का जो कि अनाधिकृत कब्जे में हो कलेक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए कृषिक प्रयोजन के लिए भूमिस्वामी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए कृषिक प्रयोजन के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में और अकृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जासकेगा।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को पात्रता की श्रेणी में पाते हुए उसका आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है जबकि आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रश्नाधीन भूमि पर उसका निरंतर कब्जा होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया था जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता व अन्य विधानों के नियमों का पालन नहीं किया गया है। जहां तक प्रश्न नजूल अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही व आदेश का है उनके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो का पालन ना करते हुए प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आदेश पारित किया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार छतरपुर का आदेश दिनांक 13/10/2004 निरस्त किया जाता है तथा नजूल अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/05/2012 अंश जहां तक प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 1092, 1093, एंव 1094 रकवा क्रमशः 0.330, 0.300, एंव 0.180 हे का संबंध है निरस्त किया जाता है परिणामतः प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज करते हुए यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	